राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2017/459

दिनांकः– 31/7/17

आदेश

आवासीय अभियंता खण्ड भीलवाड़ा के अधीन पटेल नगर विस्तार आवासीय योजना भीलवाड़ा के निर्मित अनावंटित अवशिष्ट आवासों का अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय जोधपुर के प्रस्तावानुसार एवं संचालक मण्डल की 229 वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिन्दू संख्या 229.21 में लिये गये निर्णयानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति नियमानुसार एतद् प्रदान की जाती है। निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1	पटेल नगर विस्तार, भीलवाड़ा	MIG-A, Duplex	1/107, 107A, 108, 127, 128, 129, 130	7
			2/32, 36, 37, 44, 51, 57, 61, 66, 67, 3/9, 11, 13, 15, 19, 23, 24, 25	17
		MIG-B, Duplex	1/30,	1
			2/16, 22	2
			Total	**27**

नीलामी योग्य उपरोक्त आवासों के निस्तारण से पूर्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में दर्शाई गई निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. आवासीय योजना में आवास/भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदन भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किए हुए हों, लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधि इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नही है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व /11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृति/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/Newfile Letter